न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री ओमप्रकाश, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 161 / 2023
दायर दिनांक :– 02.11.2023

अनवान

1. हजारी पुत्र गोदा रेगर निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
2. भागीरथ पुत्र गोदा रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
3. गोपाल पुत्र गोदा रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
4. बदाम पत्नि स्व० प्रहलाद रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
5. सुरेश पुत्र स्व० प्रहलाद रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
6. रामघणी पुत्री स्व० प्रहलाद रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
7. हीरा लाल पुत्र प्रहलाद रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
8. मुकेश पुत्र स्व० प्रहलाद रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
9. गंगाराम पुत्र स्व० प्रहलाद रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
10. बन्ना पुत्र स्व० नन्दा रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
11. मोहन पुत्र स्व० नाराण रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
12. रामकरण पुत्र स्व० नाराण रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां भीलवाडा।
13. गंगा पुत्री स्व० नाराण रेगर निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।

..... **प्रार्थीगण**

बनाम

1. नोरत पुत्र रामदेव माली उम्र वयस्क निवासी फूलियाकलां जिला शाहपुरा ।
2. ओमप्रकाश पुत्र देबी रेगर उम्र वयस्क निवासी फूलियाकलां जिला शाहपुरा ।
3. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा फूलिया कलॉ
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..... **अप्रार्थीगण**

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री विजय पाराशर, एडवोकेट प्रार्थीगण
3. श्री सुनील शर्मा, वकील अप्रार्थी सं. 2

:: निर्णय :: दिनांक 11.09.2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 02.11.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा फुलियाकलां पटवार मण्डल फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां स्थित खसरा संख्या 1708, 1709, 1710 प्रार्थीगण के शामलाती खाते में सहखातेदारी अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थीगण की खातेदारी खसरे

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलॉ, जिला–भीलवाड़ा

में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण वर्षो से अप्रार्थीगण के सहखातेदारी खसरान में से होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 1711 तथा विपक्षी संख्या 02 की आराजी संख्या 5885/1712 में से नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार कराया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की खसरान संख्या 1708, 1709, 1710 में से 20 फिट नवीन रास्ता किस्म रास्ता दर्ज किये जाने की आज्ञा पारित कराये जाने की मांग की।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 01 व 03 बावजुद सुचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी सं. 01 व 03 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 2 की और से श्री सुनील शर्मा एडवोकेट द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की आराजी नं. 1710 में आने जाने के लिए व हमेशा जहा से अप्रार्थीगण जाते आते रहे है आराजी सं. 1708, 1709 की तरफ से अपने पुराने उपयोग उपभोग के रास्ते का ही उपयोग करना चाहिए और उन व्यक्तियों को ही पक्षकार बनाकर रास्ता लेना चाहिए। फिर भी मुझ विपक्षी सं. 2 की आराजी सं. 5885/1712 में प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जाता है तो जितनी जमीन मुझ विपक्षी सं. 2 की रास्ते के लिए दी जाती है उतनी भूमि मेरी आराजिया से जुडी हुई प्रार्थीगणों की आराजी से दिलाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण की आराजी न. 1708, 1709, 1710 में पहुॅचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार फूलियाकलां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार फूलियाकलां ने जरिये पत्र दिनांक 29.07.2024 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार फूलियाकलां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थीगण की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 1711, 5885/1712 में से रास्ता देने पर 0.0324 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थीगण की जोत आ.न. 1708, 1709, 1710 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, क्योंकि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता अवरूद्व कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने बताया कि आराजी नं. 1710 में आने जाने के लिए व हमेशा जहा से अप्रार्थीगण जाते आते रहे है आराजी सं. 1708, 1709 की तरफ से अपने पुराने उपयोग उपभोग के रास्ते का ही उपयोग करना चाहिए और उन व्यक्तियों को ही पक्षकार बनाकर रास्ता लेना चाहिए। फिर भी मुझ विपक्षी सं. 2 की आराजी सं. 5885/1712 में प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जाता है तो जितनी जमीन मुझ विपक्षी सं. 2 की रास्ते के लिए दी जाती है उतनी भूमि मेरी आराजिया से जुडी हुई प्रार्थीगणों की आराजी से दिलाना फरमावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण से संबधित विधिक प्रावधान निम्नानुसार है किं

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि खातेदारों के बीच मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलॉ, जिला–भीलवाड़ा

3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार फुलियाकलां की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अपने आ.न. 1708, 1709, 1710 में आने जाने हेतु ख. न. 5885/1712, 1711 में से रास्ता चाहते है। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा आ.न. 1708, 1709, 1710 के सभी खातेदारो को प्रार्थीगण नही बनाया गया है। तथा न ही पत्रावली शेष खातेदारों की सहमति ली जाकर प्रस्तुत की गई है।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आ.न. 1708, 1709, 1710 के सभी खातेदारों को प्रार्थीगण नही बनाया जाने तथा न ही शेष खातेदारों की सहमति ली जाकर पत्रावली में प्रस्तुत नही किये जाने के कारण न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां (भीलवाडा)